

अत्यावश्यक
मुख्यमंत्री घोषणा

राजस्थान सरकार
शिक्षा-विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 9(स्काउट)अकाद/निकाशि/2012/ 455

दिनांक: 12 दिसम्बर, 2012

समस्त प्राचार्यगण,

राजकीय/निजी महाविद्यालय,

बीकानेर संभाग।

(बीकानेर जिला/चूरू जिला/श्रीगंगानगर जिला/हनुमानगढ़ जिला)

विषय: दिनांक 20.12.12 को प्राचार्य बैठक बाबत।

महोदय,

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, उच्च शिक्षा में ई-गवर्नेंस एवं रोवरिंग/रेंजरिंग इकाईयों के प्रभावी संचालन विषयक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु दिनांक 20.12.12 को राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर में दोपहर 12 बजे से सायं 3 बजे तक बैठक आयोजित होगी।

जिन महाविद्यालयों में अभी रोवरिंग/रेंजरिंग गतिविधियां संचालित नहीं है, वह कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आदेश के साथ संलग्न आवेदन पत्र डाउनलोड कर भरा हुआ आवेदन पत्र मय आवश्यक शुल्क बैठक के समय जमा करवायें। संभावित रोवर/रेंजर लीडर के साथ बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना तथा ई-गवर्नेंस संबंधी सूचना व पूरी तैयारी के साथ आयें।

यात्रा भत्ता संबंधित महाविद्यालयों द्वारा वहन किया जायेगा। केवल आपातकालीन स्थिति में ही प्रतिनिधि भेजें।

मन्दीय,
(नवीन जैन)
निदेशक एवं
स्टेट कमिश्नर (रोवरिंग)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 9(स्काउट)अकाद/निकाशि/2012/


दिनांक: 12 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य सचिव, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
2. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, बीकानेर को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्र के राजकीय व निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की निर्देशानुसार सहभागिता सुनिश्चित करते हुए स्वयं बैठक में उपस्थित रहें।
3. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाइट प्रभारी- रोवरिंग/रेंजरिंग के आवेदन पत्र एवं शुल्क विवरण सहित अपलोड करें।

राज्य समन्वयक (एन.एस.एस.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड्स



विद्यालय/ग्रुप.....

ग्रुप कमेटी पंजीकरण फार्म

क्र.सं.	नाम व पद	पता	कमेटी में किस रूप में चयनित किए गए
1.			अध्यक्ष
2.			उपाध्यक्ष
3.			कोषाध्यक्ष
4.			सदस्य
5.			"
6.			"
7.			"
8.			"
9.			"
10.			(ग्रुप लीडर व सचिव/संयोजक)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक.....को नियमानुसार उपरोक्त सदस्यों की एक ग्रुप कमेटी का गठन किया गया है। अतः स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

ह. स्काउटर/गाइडर

ह. संस्था प्रधान

उपरोक्त गठित ग्रुप कमेटी को नियमानुसार सत्र.....के लिए पंजीकृत किया जाता है।

ह. सचिव
स्थानीय एसोसिएशन


ह. प्रभारी सहा. जिला कमि. (स्का./गा.)
स्थानीय एसोसिएशन

पत्रांक.....
प्रतिलिपि सूचनार्थ डिवीजनल सेक्रेटरी महोदय को प्रेषित

दिनांक.....

सचिव
स्थानीय एसोसिएशन

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड



स्काउट/गाइड ग्रुप की मान्यता के लिए

आवेदन - पत्र

(स्काउट और गाइड ग्रुपों के लिए अलग-अलग फार्म प्रयोग में लिए जावें)

जिला तहसील

स्थानीय संघ मण्डल संघ

ग्रुप प्रारम्भ करने की तिथि ग्रुप का नाम वाँ(.....)

ग्रुप का डाक पता

ग्रुप विद्यालय या किसी अन्य संस्था द्वारा [.....]
अधिकृत है अथवा "स्वतन्त्र" है।

प्रस्तावित अधिकारी

पद	नाम	आयु	प्रशिक्षण शिविर के प्रमाण पत्र की संख्या, स्थान व तिथि
ग्रुप लीडर			
यूनिट लीडर			
सहायक यूनिट लीडर	1		
	2		
	3		

संख्या-कब	स्काउट	रोवर	स्काउटर	योग
संख्या-बुलबुल	गाइड	रेन्जर	गाइडर	योग

ह. स्काउटर/गाइडर

- हमारे स्काउट/गाइड ग्रुप को मान्यता देने के लिये निवेदन करते हुए मैं यह स्वीकार करता हूँ/करती हूँ कि :
- (1) इस कार्य को चलाने के लिए आवश्यक धन व अन्य सहायता ग्रुप को संस्था की ओर से प्राप्त होती रहेगी।
 - (2) ग्रुप एसोसिएशन के अनुशासन को स्वीकार करता हुआ, ए.पी.आर.ओ. में निर्धारित नीति व नियमों का पालन करेगा व कार्य को आगे बढ़ाने में पूरा-पूरा योग देगा।
 - (3) ए.पी.आर.ओ. के नियमानुसार ग्रुप कमेटी का गठन कर लिया गया है पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र संलग्न है।

(ह.) संस्था प्रधान या ग्रुप कमेटी के प्रधान

(मोहर)

(2)

प्रमाणित किया जाता है कि नियमानुसार ग्रुप कमेटी का पंजीकरण कर लिया गया है विवरण संलग्न है। अतः मान्यता दिये जाने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत है।

दिनांक.....

ह. सचिव स्था. संघ

प्रभारी सहायक जिला आयुक्त (स्का./गा.)

ह. मण्डल सचिव

ह. सहा. राज्य संगठन आयुक्त (स्का./गा.)

ह. मण्डल मुख्य आयुक्त

मण्डल मुख्यालय.....

स्वीकृति है

राज्य सचिव

राज्य संगठन आयुक्त (स्का./गा.)

राज्य आयुक्त (स्काउट/गाइड)

राज्य मुख्यायुक्त

पंजीकरण संख्या.....

मान्यता की तिथि

ग्रुप का नाम वाँ (.....)

नोट :- इस फार्म की चार प्रतियाँ बनाकर स्थानीय संघ के सचिव के पास भेज दी जावें जो कि इन्हें मण्डल सचिव के पास आवश्यक कार्य के लिए भेज देंगे। इसके साथ निम्नलिखित पंजीकरण शुल्क व व्यक्तिगत पंजीकरण शुल्क भी भेजा जावे।

पंजीकरण शुल्क पैक/प्लाक - 2 रु. ट्रुप कम्पनी 5 रु. कू/टीम 5 रु.

व्यक्तिगत पंजीकरण शुल्क - 10.00/रु. प्रति स्काउट/गाइड/रोवर/रेन्जर एवं 18 रु. प्रति स्काउटर/गाइडर एवं पदाधिकारिण 3 00/रु. प्रति कब/बुलबुल

रोवरिंग/रेंजरिंग फीस व फार्म भरने में सहायता के लिए जिलेवार निम्नांकित से सम्पर्क करें-

जिले का नाम	अधिकारी	मोबाईल नं.
बीकानेर	ए.एस.ओ.सी.	8003097193
	सी.ओ.	8003097160
चूरु	सी.ओ.	8003097173
श्रीगंगानगर	सी.ओ.	8003097163
हनुमानगढ़	सी.ओ.	8003097162

रोवरिंग/रेंजरिंग ग्रुप के लिए आवश्यक शुल्क का विवरण

कोटा मनी

1. रोवर/रेंजर प्रति	10 x 24	=	240/-
2. रोवर लीडर/रेंजर लीडर	18 x 1	=	18/-
3. संस्था सदस्य शुल्क	20 x 1	=	20/-
4. पंजीकरण शुल्क नये ग्रुप	5 x 1	=	5/-
5. पुराने ग्रुपों का नवीनीकरण	10 x 1	=	10/-

कुल योग 293/-